प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
6. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।
7. इन्दिरा गांधी विश्विद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
9. वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद।
10. चौ0 चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
11. गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार।
12. दीनबन्धू छोटू राम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत।
13. हरियाणा राज्य के सभी प्राईवेट विश्वविद्यालय।
14. सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य (केवल ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं हेतु)
15. सभी राजकीय अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों एवं स्व0 पोषित डिग्री महाविद्यालयों के प्राचार्य।
16. सभी राजकीय व अनुदान प्राप्त शिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य।

AC-2446 27/8/18

6234 27/8/18

R/ AR (Acad) 27.8.18

27/8/18

SAC 27/8/18 AC-V

यादि क्रमांक 3/31–2018 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 23-8-2018

विषय: भारत सरकार द्वारा जारी फीस/फण्डस न लेने बारे हिदायतें withdraw करने हेतु ।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र कमांक 3/31–2018 छा0(2), दिनांक 23.7.2018 की निरन्तरता में ।

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा पत्र कमांक 11017/5/2002 एस0सी0डी0 5 दिनांक 03.05.2002 तथा अर्धसरकारी पत्र कमांक 11017/5/93 एस0डी0 फैक्स दिनांक 24.04.1993 की हिदायतों के फलस्वरूप प्रवेश के समय अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से किसी प्रकार की फीस/फण्डस न लेने बारे अपने आदेश वापिस (withdraw) ले लिये गये है। इसलिए उच्चतर शिक्षा विभाग भी अपने फीस/फण्डस न लेने बारे सभी पत्र सत्र 2018–19 से (withdraw) करता है । नई **PMS for SC/OBC Students Scheme** में निर्णय लिया गया है कि इस स्कीम में अन्तर्गत सभी अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उनके द्वारा pay की गई Fees/Funds का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा। अतः जिन छात्र/छात्राओं का आधार नम्बर उनके बैंक खाते से mapped नहीं होगा, उन्हें छात्रवृति का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसलिए सभी रजिस्ट्रार/प्राचार्यगण से अनुरोध है कि वे अपने–अपने शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड उनके बैंक खाते से अपने स्तर पर लिंक करवाना सुनिश्चित करें तथा छात्र/छात्राओं को निर्देश दें कि वे छात्रवृति के आवेदन में केवल वही बैंक खाता नम्बर अंकित करें जिसके साथ उनका आधार नम्बर mapped होगा। अन्यथा इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे। इसके अतिरिक्त जिन महाविद्यालयों ने फीस/फण्डस नहीं लिये हैं, वे अपनी फीस/फण्डस रिकवर करने के लिए अपने स्तर पर कार्यवाही करें । सभी महाविद्यालय इस पत्र की फोटोप्रति अपने–अपने महाविद्यालय के सूचना–पट्ट पर अवश्य लगाएं।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

उप निदेशक छात्रवृति 23/8/18
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा पंचकूला

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK
ACADEMIC BRANCH

Endst.No. AC-5/Vol.II/F-9/18 23687 - 23936 Dated: 14/9/18

Copy of the letter mentioned overleaf bearing No.3/31-2018 Sch.(2) dated 23.08.2018 is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Heads/Directors, University Teaching Departments/Institutes, M. D. University, Rohtak.
2. The Director, M.D.U. Centre For Professional & Allied Studies, Sector 40, Gurgaon (Haryana)
3. All the Principal of colleges affiliated to M.D. University, Rohtak.
4. The Director, Computer Centre, M.D. University, Rohtak with the request to upload the letter on University Website.
5. Liaison Officer, SC/ST Cell, M.D. University, Rohtak.
6. The Deputy Registrar/Assistant Registrar (Estt.T.),(Estt.N.T.), (Colleges) M.D.University, Rohtak.
7. The A.R. (R&S), M.D.University, Rohtak
7. The AC-VI and AC-I set of Academic Branch, M.D.University, Rohtak.

Superintendent (Academic)